न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी, लालसोट जिला दौसा (राज0)

रेवेन्यु प्रकरण संख्या :– 26/20 पीठासीन अधिकारी

रज्जू दिनांक 21–08–2020 **श्री मोहरसिंह मीना (आर.ए.एस.)**

1. रेवाराम
2. जगदीश } पि0 सुखदेव
3. घासीलाल
4. संजय
5. छोट्या पुत्र गौरया
6. मुकेश पुत्र नाथूराम
7. लाली
8. सन्तोष } पुत्रीया नाथूराम
9. कमलेश
10. धन्नी देवी पत्नी नाथूराम
11. सम्पत्ति देवी पत्नी जयसिंह
12. राकेश } पि0 जयसिंह
13. विक्रम
14. रेखा पुत्री जयसिंह
15. बद्री } पि0 औंकार
16. प्रभू
17. जितेन्द्र } पि0 जगदीश
18. कूलदीप
19. कमला पत्नी जगदीश
20. रामधन } पि0 मूल्या
21. रामवतार
22. लाडा पत्नी मूल्या
23. मोहरी देवी पत्नी रामपाल
24. गुलाबचन्द } पि0 रामपाल
25. श्रीराम
26. ग्यारसा पुत्र चन्दा

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज0)

27. गंगाधर पुत्र देवा

28. लाडा } पुत्रीयां देवा
29. कल्ली

30. नाथूराम } पि0 देवा
31. लल्लू

32. मूली पत्नी रामसहाय

33. धोला } पुत्रीयां रामसहाय
34. लाली
35. बीना
36. धापू
37. बदाम

38. दिनेश } पि0 प्रहलाद
39. मनीष

40. नीतू } पुत्रीयां प्रहलाद
41. गुड्डी

42. मन्ना पुत्र चून्या

43. धापा देवी पत्नी पेमाराम

44. विजय } पि0 किशनलाल
45. कुलदीप
46. रोहित

47. राजेन्द्र पुत्र रामफुल

48. सूरज } पि0 मोहरपाल
49. हंसराज
50. मुकेश

51. नेनी देवी पत्नी मोहरपाल

समस्त जाति बैरवा निवासी ग्राम श्रीमा तहसील लालसोट जिला दौसा राज0

जरिये पावर ऑफ अटार्नी

रामस्वरूप पुत्र रामफुल जाति बैरवा निवासी ग्राम श्रीमा तहसील लालसोट जिला दौसा राज0 मो0 नं0 9799447413

उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा (राज0)

बनाम (प्रार्थीगण)

1. गोपी पुत्र रामचन्द
2. रेवड } पि0 कलयाण
3. रामधन }
4. मूली पत्नी कल्याण
5. भोरया पुत्र नानगा
6. नानगा पुत्र बिरदा
7. लाली पुत्री रामफुल
8. काली देवी पत्नी रामफुल
9. कैलाश पुत्र रामकरण
10. गोपी पि0 मु0 मूल्या

(1 से 10) समस्त जाति मीना निवासी ग्राम श्रीमा तहसील लालसोट जिला दौसा राज0

11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय लालसोट जिला दौसा राज0

(अप्रार्थी)

निर्णय

दिनांक : 15-6-22

संक्षिप्त मे इस प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आराजी खसरा नं0 753/87 रकबा 32 बीघा 07 बिस्वा वाकै ग्राम श्रीमा तहसील लालसोट में स्थित है। आराजी वादग्रस्त की उत्तरी सीमा के सीमाकन को लेकर प्रार्थीगण तथा अप्रार्थीगण के बीच आये दिन विवाद पैदा होता रहता है जिसके कारण कई बार गम्भीर झगडे की स्थिति पैदा हो जाती है इसलिए प्रार्थीगण द्वारा आराजी वादग्रस्त के उत्तरी सीमा से लगते आराजी खसरा नम्बरान खसरा नं0 51 तथा 84 ग्राम श्रीमा के खातेदारान को प्रकरण मे पक्षकार मुकदमा दर्ज किया है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 11 आये दिन आराजी वादग्रस्त की उत्तरी सीमा को दबाकर अतिकमण करते रहते है तथा हल्का पटवारी द्वारा सीमाज्ञान करने के बाद भी चिहिन्त की गई सीमा को मानने पर तैयार नही होते है। आराजी वादग्रस्त सम्पूर्ण रकबे की पत्थरगढी सीमाज्ञान रकबानुसार व नक्शा ट्रेस अनुसार जरिये पुलिस इमदाद से करवाये। आये दिन पडौसी खातेदारो से होने वाले विवादो को दृष्टिगत प्रार्थीगण आराजी वादग्रस्त खसरा नं0 753/87 रकबा 32 बीघा 07 बिस्वा वाकै ग्राम श्रीमा तहसील लालसोट मे वर्णित अपनी आराजीयात का सीमा ज्ञान करवा कर पत्थर गढी करवाना चाहता है जिससे कि प्रार्थीगण को अपनी भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार की परेशानियो का सामना न करना पडे। अनावश्यक विवादो से बचने के लिए पत्थरगढी करवाया जाना न्यायहित मे आवश्यक है।

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज

हमने प्रकरण दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर तलबी अप्रार्थी की गई व रिपोर्ट तहसीलदार अप्रार्थी ली गई जिस पर अप्रार्थी ने रिपोर्ट प्रस्तुत की एवम् अपनी रिपोर्ट मे अंकन किया कि भूमि प्रार्थीगण के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। पडौसी खातेदारो के विवाद के कारण सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाना चाहते है। मौके पर भूमि खाली है। एवं न्यायालय का स्थगन नही है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लालसोट को आदेश दिये जाते है कि दो कुशल गिरदावरो/पटवारीयान की टीम गठित कर विवादित आराजी खसरा नं0 753/87 रकबा 32 बीघा 07 बिस्वा वाकै ग्राम श्रीमा तहसील लालसोट का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करावे एवं आवश्यकता पडने पर पुलिस थाना लालसोट से पुलिस इमदाद प्राप्त करें। एवं राजकीय शुल्क नियमानुसार प्रार्थी से प्राप्त करें। इस आशय की तहरीर तहसीलदार लालसोट को जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15/6/22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मोहरसिंह मीणा)
उपखण्ड अधिकारी लालसोट

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज.)